# न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 14/2025 बउनवानी रामसहाय **बनाम** लो.सू.अधि.एवं अति0 जिला कलेक्टर,गंगापुर सिटी पुत्र श्री रूग्गा माली निवासी पैमा की ढाणी,खानपुर बडौदा तहसील गंगापुर सिटी

**GCMS No-2025/73**

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिश्यिल जज |
|---|---|
| **27.3.2025** | पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 4.12.2024 को लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर *" दिनांक 21.6.2024 को श्रीमान सम्भागीय आयुक्त महोदय भरतपुर को दिये गये परिवाद पर की गयी कार्यवाही की सूचना " अति0 जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी* से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है। जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया।<br><br>लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांकः कोर्ट/सूचना का अधिकार/182 दिनांक 12.3.2025 का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र दिनांक 4.12.2024 मे चाही गयी सूचना से संबंधित रिकार्ड अति0 जिला कलेक्टर कार्यालय गंगापुर सिटी के कार्यालय मे उपलब्ध नही है क्योकि जिला कलेक्टर कार्यालय गंगापुर सिटी के पत्रांक प.15/पी.जी./रिकार्ड/2024/5003 दिनांक 3.2.2025 के साथ संलग्न सूचीनुसार उक्त रिकार्ड जिला कलेक्टर कार्यालय सवाईमाधोपुर को भिजवाया जाना बताया गया है। अतः उक्त सूचना जिला कार्यालय सवाईमाधोपुर से उपलब्ध करवाने बाबत लोक सूचना अधिकारी ने अपने जवाब मे अंकित किया है।<br><br>पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 4.12.2024 को प्रेषित प्रार्थना पत्र में चाही गयी सूचना से संबंधित रिकार्ड जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के कार्यालय पत्रांक 5003 दिनांक 3.2.2025 से सम्भागीय आयुक्त महोदय भरतपुर द्वारा दिनांक 21.6.2024 को की गयी जनसुवायी के 34 परिवाद से संबंधित रिकार्ड कार्यालय हाजा को भिजवाया जाना बताया गया है। इसलिए उक्त उक्त सूचना कार्यालय हाजा से उपलब्ध करवाया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्ट द्वारा चाही जा रही सूचना 15 दिवस मे उपलब्ध करवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी।<br><br>(शुभम चौधरी)<br>जिला कलेक्टर<br>सवाई माधोपुर |

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2025.06.25 18:09:08 IST
Reason: SelfAttested